न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला–बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 86 / दावा / 2021

ता0 रजू 18.08.2021

GCMS ID-2021/25

उनवान

1. अशोक कुमार शर्मा आ0 दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी टोंकडा तहसील हिण्डोली हाल निवासी विवेकानन्द कोलोनी देवली जिला टोंक राज0
2. मन्जू उर्फ शकुन्तला पुत्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी टोंकडा तहसील हिण्डोली हाल निवासी विवेकानन्द कोलोनी देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. मुरारी आ0 गोपीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. शशिकान्त आ0 ब्रह्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पथिक नगर कम्युनिटी हॉल के पास भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0
3. दिनेश आ0 ब्रह्मा जाति ब्राह्मण निवासी चारभुजा मंदिर वाली गली मुख्य बाजार जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. मुन्नीबाई पुत्री ब्रह्मा पत्नी बसन्तकुमार जाति बाह्मण हाल निवासी सांगानेर भीलवाडा।
5. गायत्री पुत्री ब्रह्मा पत्नी महेश जाति ब्राह्मण निवासी हाल पुर भीलवाडा।
6. सावित्री पुत्री ब्रह्मा पत्नी गोरधन जाति ब्राहम्ण निवासी हाल तहनाल (शाहपुरा) जिला भीलवाडा।
7. कलावती पुत्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी टोंकडा हाल निवासी द्वारा श्री कैलाश शर्मा म.नं. 7 –डी–34 चन्द्रशेखर आनन्दनगर भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत :– तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:–

श्री शम्भूदयाल शर्मा अधि0 वादी

प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश दिनांक:–27.03.2025

वाद वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि वादी कृषि भूमि खसरा संख्या 563 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, 564 रकबा 0.4490 है0, 565 रकबा 0.1376 है0, 581 रकबा 0.3237 है0, 611 रकबा 0.3966 है0, 634 रकबा 0.4209 है0, 635 रकबा 0.0809 है0, 636 रकबा 0.5423 है0, 637 रकबा 0.1538 है0, 638 रकबा 0.0567 है0, 639 रकबा 2.3229 है0, कुल किता 11 कुल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रकबा 5.3096 हैक्टेयर वाके ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादीगण के पिता श्री दुर्गाप्रसाद जी का 1/4 हिस्सा निहित था और उनके देहांत के बाद उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 कलावती का 1/16 हिस्सा व सीता पत्नी दुर्गाप्रसाद जी का 1/16 हिस्सा है, लेकिन सीता पत्नी दुर्गाप्रसाद जी का देहांत हो चुका है और सीताबाई कें विधिक वारिस वादीगण है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत वादीगण सीताबाई के हिस्से की भूमि के स्वतः ही खातेदार बन चुके है। उक्त वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार ब्रहमा की मृत्यु हो गई है जिनका अभी विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है मृतक ब्रह्मा जी के वारिस प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 है, इसके साथ ही सहखातेदार ओमप्रकाश भी निर–वसीयत ना–ओलाद फौत हो गया है। वाद ग्रस्त भूमि की जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार मृतक ओमप्रकाश का अभी नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वादीगण इसी स्टेज पर अपने नाम दर्ज हिस्से का ही विधिवत बंटवारा कराना चाहते है। वादीगण की माता सीताबाई का देहांत हो जाने सीताबाई के हिस्से की भूमि को सीताबाई के वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से में दर्ज कर 1/4 हिस्से का विधिवत बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। चहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण के पिता दुर्गाप्रसाद का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा था और दुर्गाप्रसाद जी व उनकी पत्नी सीताबाई का देहांत हो जाने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 उनके विधिक वारिस होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में निहित है जिसका वादीगण विधिवत बंटवारा कराना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के हितों में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 अन्यत्र रहने से वह वाद पर हस्ताक्षर करने हेतु उपस्थित नहीं होने से उसे प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में संयोजित किया गया है। वादीगण वर्तमान में देवली रहते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 7 भी अन्यत्र रहती है इस कारण वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर स्वयं भी काश्त करते हैं और कभी कभार अपने काका प्रतिवादी संख्या 1 से भी आधोली व जुवारे पर भी भूमि की काश्त करवाते हैं इस प्रकार वादीगण वादग्रसत भूमि में निहित 1/4 हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या शामलाती होने से व भूमि का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं होने से भूमि के लगान–पिलाई को जमा कराने को लेकर पक्षकारों के मध्य आय दिन विवाद होता है, इसके साथ ही खाता शामलाती होने व भूमि का बंटवारा नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर स्थायी संसाधन–बोंरिग, विद्युत कनेक्शन/निर्माण आदि नहीं करा पा रहे है तथा पक्षकारों में भूमि के हिस्से की सीमाओं को लेकर भी आये दिन विवाद होता है, ऐसी स्थिति में वादीगण के समक्ष वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। वादीगण के हिस्से की भूमि पर गत दो वर्ष से प्रतिवादी संख्या 1 आधोली पर कात कर रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के हिस्से की भूमि की उपज पूरी वादीगण को नही देने पर वादीगण ने दिनांक 30.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 की आधोली समाप्त कर भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का अनुरोध किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 बंटवारा कराने से इंकार हो गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

और आधोली समाप्त करने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के हिस्से की भूमि पर जवरन फसल बो दी और धमकी दी कि मैं भूमि का बंटवारा नहीं कराअंगा और न ही अव भूमि की उपज तुम्हें दूंगा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त धमकी देने से वादीगण को दिनांक 30.06.2021 के ग्राम टोंकडा में उक्त वाद का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में निहित वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के संयुक्त हिस्सा 1/4 की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर अपना खाता पृथक कायम करवावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादीगण स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करें तथा साथ ही बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 बाहर रहते है और उनकी भूमि पर भी प्रतिवादी संख्या 1 ही उनकी सहमति से काश्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व 7 बाहर रहने से बंटवारे के वाद पर हस्ताक्षकर करने आने में असमर्थ होन से एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादीगण के रूप में संयोजित किया गया है। बंटवारे के वाद में भूमि धारा राज0 सरकार आवश्यक पक्षकार होने से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार सा0 हिण्डोली को प्रतिवादी संख्या 8 बनाया है। वादग्रस्त भूमि टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमा को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्यायालय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे। कृषि भूमि खसरा संख्या 563 रकबा 0.4290 हैक्टेयर, 564 रकबा 0.4490 है0, 565 रकबा 0.1376 है0, 581 रकबा 0.3237 है0, 611 रकबा 0.3966 है0, 634 रकबा 0.4209 है0, 635 रकबा 0.0809 है0, 636 रकबा 0.5423 है0, 637 रकबा 0.1538 है0, 638 रकबा 0. 0567 है0, 639 रकबा 2.3229 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 5.3096 हैक्टेयर वाके ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार सीता पत्नी दुर्गाप्रसाद की मृत्यु हो जाने से उसका हिस्सा 1/16 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 को दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/4 याने दुर्गाप्रसाद जी के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जावे एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 का अन्य प्रतिवादीगण से खाता पृथक कायम किया जावे एवं बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा भी दिलाया जावे। वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमि पर कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण को उपलब्ध एवं सुलभ हो प्रदान की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 वाबजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। प्रतिवादी संख्या 08 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
हिण्डोली

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 16 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान गवाह दर्ज करवाए गए।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 28.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/63 दिनांकः– 07.01.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार ''विभाजन'' का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम टोंकडा की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. अशोक पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/16 जाति ब्राहम्ण 2. ओम पुत्र गोपी हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण 3. कलावती पुत्री दुर्गा हिस्सा 1/16 जाति ब्राहम्ण 4. गायत्री देवी पुत्री ब्रह्या हिस्सा 1/20 जाति ब्राहम्ण 5. दिनेश कुमार पुत्र ब्रह्या हिस्सा 1/20 जाति ब्राहम्ण 6. मंजु पुत्री दुर्गा हिस्सा 1/16 जाति ब्राहम्ण 7. मुन्ना देवी पुत्री ब्रह्या हिस्सा 1/20 जाति ब्राहम्ण 8. मुरारी पुत्र गोपी हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण 9. शशिकांत पुत्र ब्रह्या हिस्सा 1/20 जाति ब्राहम्ण	638	0.0567

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	10. सावित्री देवी पुत्री ब्रह्मा हिस्सा 1/20 जाति ब्राहम्ण 11. सीता पत्नी स्व0 दुर्गा हिस्सा 1/16 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार		
	योग	किता– 1	0.0567
2.	1. अशोक पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण 2. कलावती पुत्री दुर्गा हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण 3. मंजु पुत्री दुर्गा हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण 4. सीता पत्नी स्व0 दुर्गा हिस्सा 1/4 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	637 636/1 563/1 564/1 565/1 634/1 639/1	0.1538 0.0405 0.3237 0.0810 0.0567 0.1052 0.5523
	योग	किता–7	1.3132
3.	1. ओम पुत्र गोपी हिस्सा 13131/39397 जाति ब्राहम्ण 2. गायत्री देवी पुत्री ब्रह्मा हिस्सा 2627/39397 जाति ब्राहम्ण 3. दिनेश कुमार पुत्र ब्रह्मा हिस्सा 2627/39397जाति ब्राहम्ण 4. मुन्ना देवी पुत्री ब्रह्मा हिस्सा 2627/39397 जाति ब्राहम्ण 5. मुरारी पुत्र गोपी हिस्सा 13131/39397 जाति ब्राहम्ण 6. शशिकांत पुत्र ब्रह्मा हिस्सा 2627/39397 जाति ब्राहम्ण 7. सावित्री देवी पुत्री ब्रह्मा हिस्सा 2627/39397जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	581 611 635 639/2 634/2 565/2 564/2 563/2 636/2	0.3237 0.3966 0.0809 1.7706 0.3157 0.0809 0.3642 0.1053 0.5018
	योग	किता– 9	3.9397

नक्शे में वादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियों को लाल पेन व प्रतिवादीगण के हिस्सो में रहने वाली भूमियों को नीले पेन व शामलाती भूमियों को काले पेन से प्रस्तावित नक्शें में दर्शाया गया है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/03/2025

(शिवराज मीणा)

आर0 ए0 एस0

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली